सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

तारीख हुक्म		अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
...8-17	पत्रावली पेश हुई। बकुलाय फरीकेन उपस्थित। प्रार्थना—पत्र आदेश— 7 नियम—11 का निर्णय उक्त आदेशिका के अधीन किया जा रहा है, प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी ने सशपथ अभिवचन दिनांकः 14.08.2014 को न्यायालय के समक्ष पेश किये है कि वादी, प्रतिवादी संख्या 1 श्रीमति जेठी पत्नी श्री मालाराम जाति मेघवाल निवासी का दत्तक पुत्र है। जिसका दत्तकग्रहण (गोदनामा) दिनांकः 07.12.2002 को पंजीयन कार्यालय उपपंजीयक बीकानेर के यहां पंजीबद्धशुदा है। प्रतिवादी संख्या 1 के नाम कृषि भूमि वाके ग्राम धीरेरा के खसरा नंबर 175 में 06.59 हैक्टर व ग्राम रूणिया बड़ा बास के खसरा नंबर 691, 692, 700, 701, 967, 1399/973 में तादादी 12.24 हैक्टर कुल तादादी 18.83 हैक्टर कृषि भूमि है। वादी, प्रतिवादीनी संख्या 1 के पति स्व. मालाराम के जीवनकाल में ही दत्तक ग्रहण किया था। अब प्रतिवादीनी संख्या 1 की दिमागी हालत ठीक नहीं हैं। जिसका फायदा उठाकर असामाजिक तत्व प्रतिवादीनी संख्या 1 की भूमि हड़पना चाहते हैं। अतः चिरस्थाई निषेधाज्ञा वादी के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादीनी संख्या 1 जारी की जावे कि प्रतिवादी संख्या 1 उक्त भूमि को किसी अन्य व्यक्ति को रहन, बैय या अन्तरण न करें। 2— इस वाद में प्रतिवादीगण को तलब किया गया। दिनांक 16.02.2015 को प्रतिवादीनी संख्या 1 की ओर से एड. श्री हरिराम बिश्नाई ने अभिभाषक पत्र दाखिल किया। दिनांक 27.01.2016 को जवाब दावा इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रतिवादीनी के पति ने वादी को गोद नहीं लिया था। उक्त वर्णित कृषि भूमि प्रतिवादीनी की खातेदारी कृषि भूमि है। प्रतिवादीनी के पति मालाराम के जीवनकाल में वादी को कभी भी गोद नहीं लिया गया। यह कहना कि प्रतिवादीनी की दिमागी हालत ठीक नहीं हैं, अस्वीकार है। उपखण्ड अधिकारी बीकानेर	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

वादी कभी भी प्रतिवादीनी के साथ नहीं रहा है। वह अपने पिता के साथ ही रहता है व फर्जी गोदनामा के आधार पर विधवा प्रतिवादीनी की भूमि हड़पना चाहता है। वादी किसी से चिरस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं हैं। उक्त कृषि भूमि प्रतिवादीनी को ज़रिये वसीयत अपने पिता से जो वसीयत दिनांकः 19.03.1973 पुस्तक संख्या iii जिल्द संख्या 31 पृष्ठ संख्या 95 से 98 पर दर्ज रजिस्टर्ड है। वादी को प्रतिवादीनी संख्या 1 के पति के जीवनकाल में ही गोद ले लिया था जबकि मालाराम (प्रतिवादीनी का पति) की मृत्यु 10.05.1956 को हो गई थी व गोदनामा दिनांक 07.12.2002 को लेना बताया जिसमें वादी ने अपनी उम्र 32 वर्ष बताई है, जिसके अनुसार वादी का जन्म 1970 में हुआ। अतः प्रस्तुत वाद हर प्रकार से निरस्त योग्य है। उक्त जवाब दावा के संलग्न मृत्यु प्रमाण–पत्र (मालाराम) व वसीयतनाम दिनांकः 19.02.1979 पेश किया।

3– प्रतिवादीनी संख्या 1 की ओर से दिनांक 30.08.2016 को उनके अभिभाषक श्री हरिराम बिश्नोई ने प्राथमिक आपति प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी द्वारा गोदनामा को आधार लेकर अपना हिस्सा होना बताकर प्रतिवादीनी के खिलाफ वाद कर रखा है। अब उक्त गोदनामा सिविल न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया जा चुका है। अतः वाद बिना आधार के प्रस्तुत किये जाने के कारण खारिज फरमावे। प्रार्थना–पत्र के संलग्न सिविल न्यायालय एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, बीकानेर का निर्णय दिनांकः 09.08.2016 की प्रमाणित फोटो प्रति प्रस्तुत की।

4– वादी द्वारा दिनांकः 23.09.2016 को जवाब प्रार्थना–पत्र निम्नप्रकार प्रस्तुत किया कि उक्त निराधार प्रार्थना–पत्र के आधार पर दावा खारिज नहीं हो सकता। वादी ने सिविल न्यायालय बीकानेर के विरूद्ध अपील माननीय जिला न्यायालय बीकानेर में पेश कर दी है। जो विचाराधीन है। अतः उक्त प्रर्थना–पत्र खारिज फरमाया जावे।

5– दिनांक 16.03.2017 को वकील प्रतिवादीनी द्वारा प्रार्थना–पत्र आदेश– 7 नियम– 11 का निम्न आधारों पर दाखिल किया गया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

कि प्रतिवादीनी ने एक दावा सिविल न्यायालय में गोदनामा कंसिलेसन का वादी के विरूद्ध प्रस्तुत किया था, जिसे सिविल न्यायालय ने डिक्री करते हुवे गोदनामा शून्य घाषित कर दिया। उक्त आदेश के विरूद्ध वादी ने अपील अपर जिला न्यायाधीश संख्या 4 बीकानेर के समक्ष प्रस्तुत की जिसे माननीय न्यायालय द्वारा खारिज करते हुए अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की पुष्टि की है। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत गोदनामा शून्य घोषित हो चुका है। वादी को गोदनामा के आधार पर प्रतिवादीनी के विरूद्ध वाद लाने का कोई अधिकार नहीं हैं। इस कारण वादी का वाद खारिज होने योग्य है। लिहाजा उक्त वाद खारिज फरमाया जावे। प्रार्थना–पत्र के संलग्न फार्म नंबर 3 पर माननीय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या 4 बीकानेर का निर्णय व डिक्री दिनांकः 23.02.2017 प्रस्तुत की।

6– जवाब प्रार्थना–पत्र आदेश–7 नियम–11 प्रस्तुत कर वादी ने निवेदन किया कि पक्षकारान के मध्य चल रहे सिविल वाद को आधार बनाया गया था, जबकि कानूनन प्रस्तुत दावा व सिविल वाद दो अलग–अलग प्रक्रियाएं है। जो एक दूसरे के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता। प्रतिवादीनी ने अपने प्रार्थना–पत्र में जिस गोदनामा को सिविल न्यायालय द्वारा खारिज किया जाना बताया है, वह सिविल न्यायालय अंतिम न्यायालय नहीं हैं। उक्त न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध वादी ने उच्चतर न्यायालय में अपील की है, जिसमें सफल होने की पूर्ण उम्मीद है। अतः प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाया जावे।

7– बहस प्रार्थना–पत्र आदेश–7 नियम–11 सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन व अध्ययन किया। उक्त कृषि भूमि प्रतिवादीनी संख्या 1 की खातेदारी कृषि भूमि है जो उसके पति के पिता द्वारा वसीयतनामा के आधार पर प्राप्त हुई है। वादी द्वारा गोदनामा के आधार पर वाद–पत्र प्रस्तुत किया गया है और यह स्वीकार किया है कि प्रतिवादीनी के पति मालाराम ने अपने जीवन काल में वादी को गोद ले लिया था। जिसके आधार पर गोदनामा दिनांकः 07.12.2002 को पंजीकृत किया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

गया, जिस समय वादी की आयु 32 वर्ष दर्शायी गयी है एवं प्रतिवादीनी द्वारा प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण–पत्र में मृतक मालाराम की मृत्यु को 46 वर्ष हो चुके थे। अतः यह स्पष्ट है कि वादी का जन्म मालाराम की मृत्यु के 24 वर्ष पश्चात् हुआ।

8– वादगत भूमि प्रतिवादीनी संख्या की खातेदारी भूमि है अतः प्रतिवादीनी को सभी खातेदारी अधिकार प्राप्त है। अतः चिरस्थाई निषेधाज्ञा प्रतिवादीनी के विरूद्ध नहीं दी जा सकती।

9– प्रतिवादीनी द्वारा सिविल न्यायालय एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, बीकानेर के समक्ष प्रस्तुत दिवानी प्रकरण संख्या 327/2013, जेठी बनाम पुरखाराम में निर्णय दिनांकः 09.08.2016 के द्वारा वादीनी जेठी बेवा मालाराम का वाद बाबत् घोषणात्मक व स्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादी पुरखाराम पुत्र आदूराम स्वीकार किया जाकर सव्यय गोदनामा दिनांक 07.12.2002 शून्य एवं अवैध है, प्रतिवादी को यह आदेश दिया गया कि वह तथाकथित गोदनामा दिनांकः 07.12.2002 के द्वारा किसी सरकारी, अर्द्धसरकारी व अन्य कागजातों में वादीनी को गोद पुत्र अंकन नहीं करें। तदनुसार डिक्री प्रकरण संख्या 92/2016, पुरखाराम बनाम जेठी देवी निर्णय दिनांकः 23.02.2017 के द्वारा खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय बहाल रखा गया।

10– उपरोक्त विवेचन से यह तथ्य तो स्पष्ट है कि मालाराम ने अपने जीवनकाल में वादी को गोद नहीं लिया एवं उक्त गोदनामा दिनांक 07.12.2002 को सिविल न्यायालय एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, बीकानेर एवं अपर जिला न्यायाधीश संख्या 4, बीकानेर द्वारा शून्य घोषित कर डिक्री पारित की है। चूकि प्रस्तुत वाद वादी द्वारा दत्तक पुत्र की हैसियत से गोदनामा दिनांक 23.02.2002 के आधार पर प्रस्तुत किया गया था, जो शून्य घोषित हो चुका है, अतः वादी को कॉज ऑफ एक्शन एवं मुकदमा दायर करने का अधिकार प्राप्त न होने के कारण वाद वादी रिजेक्ट होता है।

उपखण्ड अधिकारी
बीकानेर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

11– परिणामस्वरूप वाद वादी रिजेक्ट किया जाता है एवं डिक्री बहक प्रतिवादीनी संख्या 1 इस अमर की जारी की जाती है कि वादी, प्रतिवादीनी संख्या 1 की खातेदारी कृषि भूमि में हस्तक्षेप नहीं करे। निर्णय एवं डिक्री की प्रति वास्ते पालनार्थ तहसीलदार (राजस्व), बीकानेर को भिजवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 10/10/17 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तरतीब तक्मील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
बीकानेर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(आदेश 21 नियम 6, 7 जब्ता दिवानी)

अज अदालतः **उपखण्ड अधिकारी** मुकामः **बीकानेर**

बइजलासः **श्रीनानूराम सैनी (आर ए एस)**

पुरखाराम –:बनामः– जेठीदेवी आदि

मुकदमा नंबरः– **43/2014**

दावा अंतर्गत धाराः– **88, 188 आर.टी.ए.**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री चंद्रप्रकाश सारस्वत अभिभाषक वादी, श्री हरिराम बिश्नोई अभिभाषक प्रतिवादी सं. 1 एंव राज्य की ओर से पेरो0 मुदायलाह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वाद वादी रिजेक्ट किया जाता है तथा डिक्री बहक प्रतिवादीनी संख्या 1 इस अमर की जारी की जाती है कि वादी, प्रतिवादीनी संख्या 1 की खातेदारी कृषि भूमि वाके ग्राम धीरेरा के खसरा नंबर 175 में 06.59 हैक्टर व ग्राम रूणिया बड़ा बास के खसरा नंबर 691, 692, 700, 701, 967, 1399/973 में तादादी 12.24 हैक्टर कुल तादादी 18.83 हैक्टर कृषि भूमि में हस्तक्षेप नहीं करे। तदनुसार डिक्री जारी की जाती है।

अज.....मुबलिक..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ..... फीस सदी लाना आज की तारीख से वसूल यानी तक ..... को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज दिनांक 10-10-17 को डिक्री जारी की गई।

02/10/10/17

उपखण्ड अधिकारी
बीकानेर

दस्तखत.....

ओहदा.....

मुदई	रूपया	न.पै.	मुदायला	रूपया	न. पै.
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बबत् इजरामय हुक्मनामा		
बबत् इजरामय हुक्मनामा			नमा मुत्फरिक		
मिजान			मिजान		

नोटः इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन को चाहे गिरी के जरिये दिलाया गया हो नहीं दर्ज किया जावे।